कांगेर घाटी को निगल रहा है विदेशी पौधा

संजय शर्मा 4.10.99

रायपुर, ४ अक्टूबर (देशबन्धु। इन दिनों बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को एक विदेशी पौधा निगलता जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह पौधा गाजर घास के कुल का है और जहां उगता है वहां की जमीन को बंजर बना देता है। कांगेर घाटी में यह हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुका है।

अंचल के ३ राष्ट्रीय उद्यानों में से एक लगभग २ सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले कांगेर घाटी को इस विदेशी पौधे के कारण खतरा है। कांगेर घाटी क्षेत्र में तैनात कर्मचारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र में करीब २ साल पहले यह पौधा तेजी से फैलने लगा। शुरू में इस पर किसी का ध्यान नहीं गया पर बाद में इसके फैलाव को देखते हुए इसकी जांच पड़ताल की गई। वन विभाग इस पौधे को 'यूपेटोरियम' नाम से जानता है। स्थानीय आदिवासी अभी इसका कोई नाम नहीं रख पाए हैं। यह पौधा झाड़ीनुमा होता है और इतना घना उगता है कि किसी दूसरे पौधे का वहां पनप पाना मुमकिन नहीं है। इससे जंगल में जमीन पर बिखरे दूसरे पौधों के बीज पौधे नहीं बन पाते। सूत्रों के मुताबिक इस पौधे की एक विशेषता यह भी है कि यह सिर्फ खाली जमीन पर कब्जा करता है। बड़े वृक्षों के बीच छांह वाले स्थान पर यह नहीं उगता।

जानकार सूत्रों के अनुसार कांगेर घाटी के चारों तरफ पिछले कुछ वर्षों में जंगलों की तेजी से कटाई हुई है। जिससे हजारों हेक्टेयर जमीन खाली हो चुकी हैं। वहां दूसरे पेड़-पौधे पनपते उससे पहले इस विदेशी पौधे ने कब्जा जमा लिया। इन्हें नष्ट करना भी काफी कठिन है। इसके फूल अक्टूबर के आसपास लगते हैं और एक-एक पौधे से हजारों बीज निकलते हैं जो फूल के साथ जमीन पर गिरकर फैल जाते हैं और अगले सीजन में उग आते हैं। इसकी ऊंचाई ४ से ८ फीट तक देखी गई है। सूत्रों के मुताबिक यह पौधा अब काफी समस्या बन चुका है। इसके कब्जे की जमीन पर दूसरे उपयोगी पौधे नहीं उगने से लाखों का नुकसान भी हो रहा है। वहीं पशुओं के चारे की भी समस्या होती है। पशु इस पौधे को नहीं खाते। इस पौधे की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जरूरत है। अन्यथा कांगेर घाटी पर बड़ा संकट आ सकता है।

इस पौधे के बारे में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बायोसाइंस विभाग के अध्यक्ष प्रो. एम.एल. नायक से पूछने पर उन्होंने बताया कि कुछ समय से वे इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। यह पौधा छत्तीसगढ़ में सिर्फ कांगेर घाटी में ही देखा गया है। उन्होंने बताया कि पौधा अमरीका व वेस्टइंडीज से आया है और गाजर घास के कुल का है। यह गाजर घास की तुलना में अधिक तेजी से फैलता है। इसे बंगलादेश में 'फूलझरी' के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके फूल काफी झड़ते हैं। वनस्पति शास्त्री पहले इसे 'यूपेटोरियम ऑडोरेटम' कहते थे। अब इसे 'क्रोमोलीना ऑडोरेटा' कहा जाता है। प्रो. नायक ने बताया कि इस पौधे ने प्रथम विश्वयुद्ध के बाद भारत में प्रवेश किया है। सबसे पहले यह आसाम में देखा गया। इसके बाद यह पूरे देश में फैल चुका है। प्रो. नायक ने बताया कि कांगेर घाटी में यह एक बड़ी समस्या बन चुका है। उन्होंने बताया कि इसी कुल के पौधे जमीन में रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं जिससे सामान्य पौधों के लिए उपयोगी और जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले जीवाणु मर जाते हैं। इस तरह वह जमीन बंजर होने लगती है। उन्होंने बताया कि वेस्टइंडीज में इसके बीज को पीसकर मछलियों के लिए जहर बनाया जाता है। इसके अलावा इसकी और किसी उपयोगिता के बारे में पता नहीं चला है। प्रो. नायक का कहना था कि इस पौधे को सिर्फ जलाकर नष्ट किया जा सकता है; पर इसके बीज जमीन में गिर चुके हों तो फिर पौधे निकल आएंगे।

(शेष पृष्ठ ७ पर)

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस बारे में कांगेर घाटी के बस्तर स्थित डायरेक्टर कौशलेन्द्र कुमार से फोन पर संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि इस पौधे की रोकथाम के लिए काफी समय से प्रयास चल रहा है। इसके लिए अलग से राशि का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल फूल आने के पहले इन पौधों को उखाड़ा जा रहा है। सितम्बर माह इसके लिए ठीक है। उन्होंने कहा कि जड़ ठीक से नहीं उखड़ने पर इसके फिर से उग जाने की आशंका रहती है। यह पूछने पर कि स्थानीय आदिवासी इसका कोई उपयोग करते हैं? श्री कुमार ने कहा कि वे सिर्फ जला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांगेर घाटी क्षेत्र में अभी गाजर घास नहीं देखा गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ अंचल में गाजर घास का प्रकोप कुछ सालों से दिखाई दे रहा है। इस घास ने अंचल में काफी तेजी से जड़ें जमाई हैं और लम्बे प्रयासों के बाद भी इसकी रोकथाम नहीं की जा सकी है। राजनांदगांव जिले में इसके काफी बड़े क्षेत्र में फैलने की जानकारी मिली है।

चीतल खाल-३ बंदूक बरामद तीन के खिलाफ जुर्म दर्ज

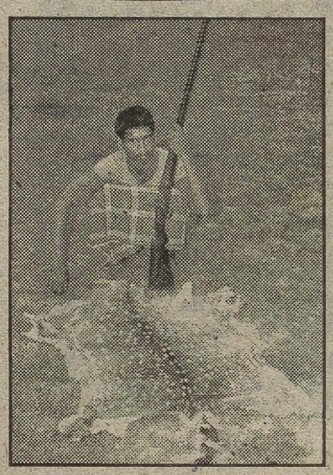

कोरर, २० अक्टूबर (देशबन्धु)। कांकेर पुलिस ने एक व्यक्ति से चीतल की खाल, बंदूक एवं २ अन्य व्यक्तियों से २ बंदूक एवं बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किया। तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांकेर जिला पुलिस अधीक्षक पवन देव के नेतृत्व में कोरर थाना प्रभारी आर.डी. शोरी अपने दल बल के साथ ग्राम गुगुरटोला (कोठाली) पहुंचे। यहां उन्होंने आरोपी मोहन पिता इतवारी राम से एक बंदूक तथा चीतल की खाल बरामद की। पुलिस ने इतवारी राम के सहयोगी धनीराम पिता रजमन गोड़, मंगलूराम पिता दासूराम गोड़ से एक-एक बंदूक एवं बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए। तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम तथा अवैध हथियार रखने के जुर्म में धारा २५, २७ आर्म्स एक्ट ९ (४४) के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है।

कोरर थाने के अंतर्गत ग्राम धनेली (कोठोली), तरान्दुल, बांसकुड़, तोनका, भुरका, हाटकर्रा, खसगांव, मुरागांव, कोटगांव आदि ग्राम अति संवेदनशील क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं कारणों के चलते इस क्षेत्र में वन अधिकारियों की सक्रियता कम दिखाई देती है। यह क्षेत्र बीहड़ जंगल होने के कारण यहां ग्रामीणों को नक्सलियों का भय बना रहता है।

'Deshpandhu', Dt- 21.10.99

7/10/99.

वन अपराध , ११ प्रकरण दर्ज ६५ हजार की सागौन जब्त

राजनांदगांव, ७ अक्टूबर (देशबन्धु)। चौकी परिक्षेत्र सामान्य वनमंडल के अधिकारियों द्वारा जारी धरपकड़ अभियान में माह सितंबर में अब तक वन अपराध के कुल ११ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसमें लगभग ६५ हजार बाजार मूल्य की सागौन एवं अन्य प्रजाति की ५ हजार घन मी. काष्ठ जब्त की गई है।

इसी कड़ी में २९ एवं ३० सितंबर को मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर जंगल में अवैध रूप से लकड़ी काट रहे चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अपराध में प्रयुक्त आरा, रस्सा तथा साइकिल जब्त की गई। मौके पर काटी गई ९ नग सागौन लट्ठा, १.३३३ घन मी. बाजार मूल्य ३० हजार रुपए जब्त की गई। प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम नीचे कोहडा के पीकूलाल व रामचंद्र खंडेलवाल किराना व्यापारी के यहां सर्चवारंट लेकर तलाशी ली गई तथा तलाशी में ६२ सागौन चिरान १०.३८० घ.मी. बाजार मूल्य १६ हजार रुपए जब्त किया गया। प्रकरण की विवेचना कर अपराधियों को गिरफ्तार कर चौकी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपराधियों को २ हजार रुपए के मुचलके तथा ९ हजार रुपए की जमानत पर रिहा किया गया। वन विभाग चौकी द्वारा जारी धरपकड़ अभियान से अपराधियों में हड़कंप है।

अब तक कुल ११ प्रकरणों में से चार अपराधियों को गिरफ्तार कर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वन विभाग की सक्रियता से ग्रामीणों में हर्ष है। निश्चल परिक्षेत्र अधिकारी चौकी द्वारा लकडी चोरों के खिलाफ जारी अभियान में ग्रामीणों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया है।